रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 1983/माघ 20, 1904
No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 31, 1983/MAGHA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1983

का. आ. 102(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 85(अ) 18क/आई. डी. आर. ए./78, तारीख 10 फरवरी, 1978, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा कल्याणी, जिला नादिया (पश्चिमी बंगाल) स्थित मैसर्स नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण पांच वर्ष की अवधि के लिए, 9 फरवरी 1983, तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था तथा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्रबन्ध बोर्ड के अधीन और अवधि के लिए, 22 जून, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 22 जून, 1983 तक, की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(1)/78-सी.यू.एस.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th February, 1983

S.O. 102(E)/18A/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 85(E)/18A/IDRA/78 dated the 10th February, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking of Messrs National Rubber Manufacturers Limited, located at Kalyani, District Nadia (West Bengal) was taken over for a period of five years upto and inclusive of 9th February, 1983 and the Board of Management was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the said Board of Management for a further period upto and inclusive of 22nd June, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 22nd June, 1983.

[F. No. 2(1)/78-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983